उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग–2
संख्याःजी–2–1817/दस–2005–600/99टी.सी.– □
लखनऊ दिनांक 10 जनवरी, 2006

कार्यालय–ज्ञाप

विषयः– विदेश यात्रा हेतु वायुयान की श्रेणी तथा दैनिक–भत्ते की अनुमन्यता।

पिछले कुछ समय से विभिन्न स्रोतों से इस आशय की पृच्छायें प्राप्त हो रही हैं कि विदेश यात्रा के दौरान सरकारी सेवकों को हवाई–यात्रा की कौन सी श्रेणी अनुमन्य है तथा ऐसी यात्रा के दौरान किस दर से दैनिक–भत्ता अनुमन्य होगा। इसके अतिरिक्त समय–समय पर यह प्रश्न उठाया गया है कि भारत सरकार के अपर सचिव तथा उसके ऊपर स्तर के अधिकारियों को हवाई–यात्रा में एक्ज़ीक्यूटिव क्लास अनुमन्य है, जिसे प्रदेश शासन में समान स्तर के अधिकारियों को भी अनुमन्य किया जाय।

2– यात्रा–भत्ता/दैनिक–भत्ता के सम्बन्ध में वित्त (सामान्य) अनुभाग–4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-स्था-4-395/दसा–99–600–99 दिनांक 11 जून, 1999 में वायुयान का एक्ज़ीक्यूटिव क्लास रू0 25,000 या उससे अधिक प्रतिमाह वेतन पाने वाले सरकारी सेवकों को अनुमन्य किया गया है तथा यह भी प्रावधानित है कि उत्तर प्रदेश के बाहर के स्थानों पर सरकारी सेवकों को उन्हीं दरों से दैनिक–भत्ता अनुमन्य होगा जैसा कि उन स्थानों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अनुमन्य है। परन्तु इस कार्यालय–ज्ञाप में विदेश यात्रा के दौरान वायुयान की श्रेणी अथवा दैनिक–भत्ता की अनुमन्यता के सम्बन्ध में विशिष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विदेश यात्रा के दौरान वायुयान की श्रेणी तथा दैनिक–भत्ता की अनुमन्यता एवं देश के भीतर हवाई यात्रा के दौरान श्रेणी की अनुमन्यता के सम्बन्ध में समुचित विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय निम्न व्यवस्था लागू किये जाने पर सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं:–

(1) विदेश यात्रा के दौरान रू0 26,000 का मासिक वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारियों को वायुयान की प्रथम श्रेणी में यात्रा की अनुमन्यता होगी और रू0 12,400 या इससे अधिक मासिक वेतन पाने वाले अधिकारी वायुयान की बिज़नेस/क्लब क्लास में यात्रा

के लिए अर्ह होंगे तथा शेष अधिकारी एकानोमी/सामान्य श्रेणी में हवाई यात्रा कर सकेंगे।

(2) विदेश यात्रा के दौरान अनुमन्य दैनिक–भत्ते की दरें भारत सरकार के विदेश मन्त्रालय द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार होंगी।

(3) सरकारी सेवकों की विदेश यात्रा के ऊपर होने वाले व्यय का वहन सामान्यतः उसी लेखा शीर्ष/व्यय-मद से किया जायेगा जिससे उनके प्रदेश/देश के भीतर की सरकारी यात्रा से सम्बन्धित व्यय वहन किया जाता है, इससे भिन्न व्यवस्था के सम्बन्ध में शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, परन्तु ऐसी भिन्न व्यवस्था की स्थिति में भी सम्बन्धित सरकारी सेवक की विदेश यात्रा से सम्बन्धित वायुयान की श्रेणी तथा दैनिक–भत्ता की अनुमन्यता अप्रभावित रहेगी अर्थात् उपरोक्त उप प्रस्तर (1) एवं (2) के अनुसार होगी।

(4) देश के भीतर हवाई–यात्रा के दौरान रू0 22,400 अथवा उससे अधिक मासिक वेतन पाने वाले अधिकारियों को वायुयान का एक्जीक्यूटिव क्लास अनुमन्य होगा।

3. उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा इस विषय पर पूर्व में समय–समय पर जारी सभी आदेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायं।

(मनजीत सिंह)
प्रमुख सचिव, वित्त–II

सेवा में,

सागरत विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

संख्या–सा–2–1817(1)/दस–2005–600/99टी.सी. II तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लेखा–प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

2. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, आडिट–प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3. सचिवालय के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
4. प्रमुख सचिव, विधान सभा /विधान परिषद, विधान भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, लखनऊ।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2

आज्ञा से,

(भुवन चन्द्र जोशी)
विशेष सचिव, वित्त।